MOHIT
PAPER MILLS LIMITED

Works : 9th Km. Stone, Nagina Road
Bijnor-246701 (UP) INDIA
Tele : 01342 - 283051
E-mail : mohit.paper@rediffmail.com
Website : www.mohitpaper.in
CIN : L21093DL1992PLC116600

To, **Date: 14/02/2023**
The Secretary/Compliance Officer,
BSE Ltd.,
P. J. Tower, Dalal Street Fort,
Mumbai- 400 001

Security Code: 530169
Security ID: MOHITPPR

Dear Sir/Madam,

Sub.: Intimation of News paper publication of Financials Result of the Company for the quarter and nine month ended on December 31, 2022:

Kindly acknowledge the publication of financials of Mohit Paper Mills Limited (the “Company”) for the quarter and nine month ended December 31, 2022 in the News Papers.
We hereby request you to take the same on your record.

Thanking you,
For Mohit Paper Mills Limited,

MOHIT PAPER MILLS LTD. New Delhi

Shivam Sharma Digitally signed by Shivam Sharma Date: 2023.02.14 13:06:54 +05'30'

Shivam Sharma,
Company Secretary
M. No.: A42083
Place: New Delhi

Note:
Encl as above

खबर संक्षेप

भाजपा विधायक के कार्यालय में सेंधमारी

नई दिल्ली। दिल्ली में चोरों ने भाजपा के एक विधायक के कार्यालय में कथित रूप से सेंध लगाई और वहां से दो टेलीविजन ले गये। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर से भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि शनिवार रात चोरों ने यह सेंधमारी की जिसके बारे में पुलिस को सूचित कर दिया गया है। चोरी के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। शर्मा ने आरोप लगाया कि चोर दो टेलीविजन ले गए और कार्यालय में भी तोड़फोड़ की। पिछले कुछ सालों में तीसरा मौका है जब उनके विश्वास नगर कार्यालय को चोरों ने निशाना बनाया है।

वेल्डर गिरफ्तार, पांच लाख का माल बरामद

नई दिल्ली। जामिया नगर इलाके में घर में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अरेस्ट किये गये आरोपी से करीब पांच लाख कीमत की ज्वेलरी, एक मोबाइल और 5420 रुपए कैश बरामद भी हो गया। डीसीपी साउथ ईस्ट राजेश देव ने बताया कि पांच फरवरी को इस संबंध में शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता के घर से करीब पांच लाख कीमत की जवेलरी, मोबाइल और कैश चोरी हुआ था। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चैक की। मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपी के बारे में जानकारी जुटायी गई। इसके बाद मामले में आरोपी शाहनवाज को पकड़ा गया। वह वेलकम क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी पेशे से वेल्डिंग का काम करता है। उसकी जोगाबाई क्षेत्र में वेल्डिंग की दुकान है। जामिया नगर में ही चोरी के तीन केस में वह शामिल रह चुका है।

अशोक गहलोत के ओएसडी से क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ

फोन टैपिंग मामला

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

क्राइम ब्रांच ने सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से पूछताछ की गई। उनसे फोन टैपिंग मामले को लेकर करीब एक घंटा सवाल जवाब हुये। उन्हें पुलिस की तरफ से छठा नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद वे जांच में शामिल होने के लिए प्रशांत विहार स्थित क्राइम बांच ऑफिस पहुंचे थे। क्राइम ब्रांच की यह उनसे तीसरी बार पूछताछ थी। 2021 में जोधपुर से भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ आपराधिक साजिश व गैरकानूनी रूप से टेलीग्राफिक सिग्नल (टेलीफोनिक बातचीत) को बाधित करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दरअसल, गजेंद्र सिंह शेखावत का कथित ऑडियो क्लिप, जिसमें वह राजस्थान सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के बागी नेताओं से बात कर रहे थे, वायरल हो गया था। इस सबके पीछे मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा पर फोन टेपिंग का आरोप लगा था। इस मुकदमे के खिलाफ लोकेश शर्मा ने भी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि इस केस को राजस्थान ट्रांसफर किया जाए या फिर एफआईआर रद्द की जाए। अभी यह केस कोर्ट में चल रहा है, जिस पर सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। लोकेश शर्मा की ओर से बताया गया है वह दिल्ली पुलिस को जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। उन पर गजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से फोन टेपिंग के लगाए गए आरोप एकदम गलत हैं।

कारखाने में लगी आग, दमकल की 27 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

पश्चिमी दिल्ली में मोती नगर थाने के पास एक कारखाने में भीषण आग लग गई। यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि रविवार देर रात लगी आग पर काबू पा लिया गया है और अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि

अग्निशमन सेवा को रात 11 बजकर 40 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 27 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

पीठ ने कहा- मौजूदा चरण में निचली अदालत की टिप्पणियां नहीं हटाई जा सकती

जामिया नगर हिंसाः हाईकोर्ट ने पुलिस की याचिका पर शरजील, अन्य से जवाब मांगा

एजेंसी/हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2019 के जामिया नगर हिंसा मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम और अन्य को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले में पुलिस के खिलाफ की गई टिप्पणियों को फिलहाल हटाने से इनकार कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि इन टिप्पणियों से आगे की जांच या किसी भी आरोपी के खिलाफ मुकदमे पर असर नहीं पड़ेगा।

हाईकोर्ट ने सोमवार को छात्र कार्यकर्ताओं शरजील इमाम,आसिफ इकबाल तनहा, सफूरा जरगर और अन्य से मामले में उन्हें आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर उनका जवाब मांगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने इस दलील के आधार पर हाईकोर्ट से निचली अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों को हटाने का आग्रह किया कि मामला 'असहमति के

अधिकार' से संबंधित नहीं, बल्कि गैरकानूनी जमावड़े के हिंसक होने से संबंधित है। जैन ने कहा कि अदालत के अवलोकन प्रभावित करने वाले हैं और आगे की किसी भी जांच के लिए नुकसानदेह होंगे। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि मौजूदा चरण में टिप्पणियों को नहीं हटाया जा रहा, लेकिन आदेश दिया कि जांच एजेंसी के खिलाफ की गई टिप्पणियों से आगे की जांच या किसी भी आरोपी के खिलाफ मुकदमे पर असर नहीं पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। निचली अदालत ने 4 फरवरी के अपने आदेश में इमाम और तनहा सहित 11 लोगों को यह कहते हुए आरोपमुक्त कर दिया था कि उन्हें पुलिस द्वारा 'बलि का बकरा' बनाया गया था और असहमति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि दबाया जाना चाहिए।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ किया था प्रदर्शन

दिसंबर 2019 में यहां जामिया नगर इलाके में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद भड़की हिंसा के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि निचली अदालत का आदेश कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और इसमें काफी विसंगतियां हैं। पुलिस की दलील में कहा गया है कि निचली अदालत ने न केवल आरोपी व्यक्तियों को आरोपमुक्त किया, बल्कि 'भावनाओं' में बह गई तथा अभियोजन एजेंसी पर आक्षेप लगाया है। पुलिस ने कहा है कि अभियोजन एजेंसी और जांच के खिलाफ 'गंभीर पूर्वाग्रहपूर्ण' और 'प्रतिकूल' टिप्पणी की गई है। इमाम पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण देकर दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था। इमाम जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वह 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी हैं। निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि निश्चित रूप से घटनास्थल पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थे और भीड़ के भीतर कुछ असामाजिक तत्व व्यवधान तथा तबाही का माहौल बना सकते थे। निचली अदालत ने 11 आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए एक आरोपी मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। जामिया नगर पुलिस थाना ने इमाम, तनहा, सफूरा जरगर, मोहम्मद कासिम, महमूद अनवर, शहजर रजा खान, मोहम्मद अबुजर, मोहम्मद शोएब, उमैर अहमद, बिलाल नदीम, चंदा यादव और मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

जहांगीरपुरी दंगों में शामिल 25 हजार रुपये का इनामी अरेस्ट

नई दिल्ली। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एटीएस ने जहांगीरपुर दंगों के फरार आरोपी को अरेस्ट किया है। सलमान उर्फ सुलेमान (24) नामक इस शख्स की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित हो चुका था। उस पर जहांगीरपुरी इलाके में हत्या के प्रयास के दो और एक चोरी का केस भी दर्ज था। एक मामले में वह अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर घायल अवस्था में ही फरार हो गया था। डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा के अनुसार आरोपी 15 जनवरी 2021 को जमानत पर बाहर आया था। लेकिन इसके बाद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा। जहांगीरपुर दंगों के बाद वह फरार हो गया था। फरारी के दौरान वह वेस्ट बंगाल और मुंबई में छिपकर रहा। हाल ही में इसके दिल्ली लौटने का पता चला था। आरोपी नशे का आदि है और इलाके में अपनी धौंस जमाने की कोशिश में रहता था। जहांगीरपुरी दंगों के मामले में आठ आरोपी फरार चल रहे थे। इन्हीं में सलमान एक था। इन सभी की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित हो चुका था। 11 फरवरी को एटीएस स्टाफ को इसके बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद मंगल बाजार, महेंद्रा पार्क इलाके से इसे दबोचा गया।

तीन बार तलाक बोल रिश्ता तोड़ने वाला बेंगलुरु से गिरफ्तार

नई दिल्ली। पूर्वी जिले के कल्याणपुरी में अवैध संबंधों के शक में पत्नी को तीन बार तलाक बोल रिश्ता तोड़ने वाले शख्स को पुलिस ने बेंगलुरु से अरेस्ट किया है। पुलिस ने आलम शाह सैफी नामक शख्स को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 36 साल की पीड़ित महिला ने शिकायत में बताया था कि उसका आलम शाह सैफी के साथ निकाह हुआ था। पति अक्सर उसके साथ हिंसा करता था। वह दूसरी महिला के साथ भी रिश्ते से जुड़ा हुआ था। गत वर्ष 13 अक्टूबर को पीड़ित महिला ईस्ट विनोद नगर स्थित उस महिला के घर भी गई थी। वहां उसका पति भी मौजूद था। दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और उसी समय पति ने उसे तीन बार तलाक बोल रिश्ता खत्म होने की बात कही। जबकि अब कानून में ऐसा नहीं है। पीड़ित महिला लाजपत नगर क्षेत्र में रहती है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हाल ही आरोपी के बारे में जानकारी मिली कि वह बेंगलुरु में है। इसके बाद टैक्नीकल सर्विलांस की मदद से पुलिस की एक टीम ने बेंगलुरु पहुंच उसे अरेस्ट कर लिया।

दूध व्यापारी पर चली गोली राहगीर को लगी, मौत

बैंक में रुपये जमा करवाने जा रहा था व्यापारी

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दक्षिण पूर्वी जिले के पुल प्रहलादपुर एरिया में बैंक में रुपये जमा करवाने जा रहे शख्स पर स्कूटी सवार युवकों द्वारा की गई फायरिंग में एक राहगीर की मौत हो गई। मृतक का नाम जुल्लू दफादार (42) बताया गया है। वह झुग्गी, बंगाली कॉलोनी, तुगलकाबाद का रहने वाला था। बदमाशों ने लूट के मकसद से व्यापारी पर गोली चलाई थी। पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह करीब सवा 11 बजे इस घटना की सूचना मिली थी।

पुलिस मौके पर पहुंची जहां एक शख्स को छाती की दांयी तरफ गोली लगी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कॉलर ने बताया कि वह दूध व्यापारी है। लाल कुआं और विश्वकर्मा कालोनी में दूध सप्लाई करता है। फरीदाबाद के बैंक में पांच लाख 90 हजार रुपये जमा करवाने जा रहा था। करीब 11 बजे रामप्यारी कैंप के पास स्कूटी सवार दो युवकों ने उसे रोकने का प्रयास किया। लेकिन वह नहीं रूका। इस पर एक युवक ने पिस्टल निकाल पीछे से उस पर गोली चलाई। गोली एक कूड़ा बीनने वाले शख्स को लगी। इसके बाद वह बैंक में रुपये जमा करवा वापस मौके पर आया। पुलिस दूध व्यापारी के बयान पर केस दर्ज कर जांच कर रही है।

सुल्तानपुरी इलाके में फायरिंग, एक घायल

नई दिल्ली। बाहरी जिले के सुल्तानपुरी इलाके में सोमवार तड़के एक शख्स को गोली मार दी गई। इस घटना में घायल शख्स का नाम पूठ कलां निवासी संदीप (33) बताया गया है। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत खतरे से बाहर है। पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह करीब साढ़े छह बजे गांव पूठ कलां में फायरिंग की सूचना मिली थी। सुल्तानपुरी थाने के एसएचओ सुखबीर मलिक अपनी टीम के साथ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां दो गोली के खाली खोल बरामद हुए। घायल को ब्रहम शक्ति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस को दिये बयान में उसने बताया कि हमला करने वाले पांच लोग थे। उनके नाम दीपक, शिवम, विक्रम, मिंटू और काला बताये गये हैं। बहरहाल, पुलिस घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चैक कर हमले के आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर मांग रहे थे चंदा, ग्रामीणों ने पकड़ पुलिस को सौंपा

पुलिस ने पूछताछ के बाद बिना कार्रवाई छोड़े

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली एनसीआर में कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर अवैध चंदा मांगने का सिलसिला जारी है। ऐसे कई लोगों को फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी पकड़ा जा चुका है जो नेशनल स्टूडेंट कैंप के नाम से चंदा इकट्ठा कर अपने निजी स्वार्थ के लिये उसका इस्तेमाल करते है।

हाल ही में कंझावला क्षेत्र के कराला गांव में भी कश्मीरी हिंदुओं की मदद के नाम पर चंदा मांगने वाले दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। लोगों ने उनकी पहचान जाननी चाही तो आनाकानी करने लगे। लेकिन जब पुलिस बुलाई गई तो उनकी पहचान जानकर ग्रामीण भी हैरान रह गये। दोनों युवक मुस्लिम समुदाय से थे और इनके नाम कुलगाम के चट्टाबाल, जम्मू कश्मीर निवासी शाबिर अहमद खान और अनंतनाग के नरसिंहपुरा के रहने वाले फाजिल अहमद खान पता चलें। पुलिस द्वारा दोनों युवकों से लंबी पूछताछ तो की गई लेकिन बाद में कोई कार्रवाई करें बगैर उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों युवकों को कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। कराला में यह

■ नेशनल स्टूडेंट कैंप के नाम पर मांग रहे थे चंदा

मामला 11 फरवरी को सामने आया। दो युवक हाथों में नेशनल स्टूडेंट कैंप जिस पर शास्त्री पार्क कश्मीरी गेट का पता लिखा था के लेटर हेड लेकर गांव में कश्मीरी हिंदू शरणार्थियों की मदद के नाम पर चंदा मांग रहे थे। कुछ युवकों को उन पर शक हुआ तो उन्हें आईकार्ड दिखाने को बोला गया। लेकिन दोनों युवक आनाकानी करने लगे। इस बीच कुछ लोगों ने उनके वीडियो बनाने की कोशिश की तो वह मुंह छिपाते नजर आये। इस पर उनके फर्जी होने का शक और गहरा गया। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। कंझावला पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों युवकों ने अपने आधार कार्ड दिखाये। पता चला कि वह वास्तव में कश्मीरी मुसलमान हैं। दोनों को पुलिस अपने साथ थाने ले गई। चंदा वसूलने वालों को पकड़ने वाले स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश था कि वे लोग पीड़ित हिंदुओं के नाम पर चंदा मांग रहे थे। जबकि आरोप लगता रहा है कि उन्हें उजाड़ने वाले और कत्लेआम करने वाले भी एक समुदाय विशेष के लोग हैं। उनके पास नेशनल स्टूडेंट कैंप के नाम से कुछ लेटरहेड भी मिले जिस पर चंदे का हिसाब किताब लिखा था लेकिन लोगों को शक है कि उस पैसे का ये लोग निजी स्वार्थ के लिये इस्तेमाल करते हैं। जानकारी यह भी मिली है कि इस गिरोह में कुछ कश्मीरी महिलाएं व लड़कियां भी शामिल है। इनका आधा दर्जन लोगों का एक गिरोह है जो लोगों को गुमराह कर चंदा मांगते हैं। कंझावला थाने के एसएचओ आनंद प्रकाश का कहना है कि पकड़े गये दोनों लोगों से लंबी पूछताछ की गई। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। इसलिये मामले में कोई कार्रवाई ना कर उन्हें छोड़ दिया गया। मामले में और अधिक जानकारी के लिये रोहिणी जिले के डीसीपी गुरइकबाल सिंह सिद्धू से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मैसेज का भी कोई रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं आया।

MOHIT PAPER MILLS LIMITED

(CIN- L21093DL1992PLC116600)
पंजी. कार्यालय : 15ए/13, अपर ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
वर्क्स : 9 किमी. स्टोन, नगीना रोड, बिजनौर, उत्तर प्रदेश-246701
Phone: 011- 25886798
E-mail: Investorsmohitpaper@gmail.com, Website: www.mohitpaper.in

31 दिसम्बर 2022 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतु अअंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम का सार

(ईपीएस को छोड़कर रु. लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही (31-12-2022) अअंकेक्षित	समाप्त तिमाही (30-09-2022) अअंकेक्षित	समाप्त तिमाही (31-12-2021) अअंकेक्षित	समाप्त 9 माह (31-12-2022) अअंकेक्षित	समाप्त 9 माह (31-12-2021) अअंकेक्षित	समाप्त वर्ष (31-03-2022) अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	5514.38	5986.35	3546.769	16742.57	9896.45	14265.64
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	200.58	192.87	26.55	482.07	89.67	127.76
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पूर्व, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	200.58	192.87	26.55	482.07	89.67	127.76
कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	117.14	104.31	78.37	306.90	90.36	196.13
अवधि हेतु कुल व्यापक आय	117.14	104.31	78.37	306.90	90.36	196.13
इक्विटी शेयर कैपिटल (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
इक्विटी शेयर कैपिटल की सं. (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रति इक्विटी शेयर)	140	140	140	140	140	140
रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	0	0	0	0	0	1915.44
अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व और पश्चात) (रु. 10/- प्रत्येक के)						
बेसिक :	0.84	0.75	0.56	2.19	0.65	1.42
डायल्युटेड :	0.84	0.75	0.56	2.19	0.65	1.42

टिप्पणी :
1. उपरोक्त 31 दिसम्बर 2022 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतु अअंकेक्षित वित्तीय विवरणों का एक सार है, जिसकी समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई और इसलिये शनिवार, 11 फरवरी 2023 को बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सेबी (लिस्टिंग आब्लीगेशंस घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के अनुरूप, कम्पनी ने कम्पनी के स्टैंडअलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणाम प्रकाशित करने का विकल्प दिया, यह कम्पनी की वेबसाइट www.mohitpaper.in के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।
2. वित्तीय परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) नियमों, 2015 और कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) (संशोधित) नियमों, 2016, लागू योग्य तक, के नियम 3 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (दि 'एक्ट') की धारा 133 के तहत निर्धारित IND AS हैं और भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा लागू अनुसार और जारी दिशा-निर्देशों, भारतीय लेखा मानकों ('IND AS') के अनुरूप तैयार किये गये हैं।
3. कम्पनी IND AS 108, प्रचालन खण्डों के अनुरूप वित्तीय परिणाम प्रकाशित कर चुकी है, कम्पनी वित्तीय परिणाम में खण्ड जानकारी घोषित कर चुकी है और इसलिये, 31 दिसम्बर 2022 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु वित्तीय परिणाम में खण्ड जानकारी पर अलग से घोषणा नहीं दी गई है।
4. पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़े वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के समरूप बनाने के लिये जहां आवश्यक हुआ, रिग्रुप्ड / रिक्लासीफाइड कर लिये गये हैं।

कृते व मोहित पेपर मिल्स लिमिटेड की ओर से
हस्ता/-
संदीप जैन
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन : 00458048)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.02.2023

सुरक्षा उपकरणों से लैस होंगे वाहन

जी-20 सम्मेलन से पहले 500 वाहन खरीदेगी दिल्ली पुलिस

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में जी-20 कार्यक्रमों के मद्देनजर इसमें भाग लेने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उच्च तकनीक वाले सुरक्षा उपकरणों से लैस 500 नये वाहन खरीदने का फैसला किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

जी-20 समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत ने पिछले साल एक दिसंबर को जी-20 की अध्यक्षता संभाली थी। इस अवधि के दौरान देशभर में 55 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसका समापन सितंबर में दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन के साथ होगा। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा शाखा को 200 महिंद्रा बोलेरो - सात-सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी - और 200 मारुति अर्टिगा मिलेगी, जो सात सीटर-वाहन है इन वाहनों को मार्च तक शामिल किया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम 100 स्कॉर्पियो कार भी खरीद रहे हैं। हालांकि हमारे पास हमारी नियमित सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन हैं, लेकिन जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए, हम अतिरिक्त 500 नए वाहन खरीद रहे हैं, जिनका उपयोग हमारे बल की सुरक्षा इकाई द्वारा किया जाएगा क्योंकि दुनियाभर से राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले विदेशी गणमान्य लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस विभाग ने वाहनों के सुरक्षा से जुड़े विभिन्न उपकरणों के ऑर्डर भी दिए हैं।

सैमटेक्स फैशंस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय एवं वर्क्स : खसरा नं. 62, डी1/3 इंडस्ट्रीयल एरिया, राजारामपुर, सिकदराबाद, बुलंदशहर, यू.पी. 203205, आईएन
CIN: L17112UP1993PLC022479, Email: samtex.compliance@gmail.com, Website: samtexfashions.com

31 दिसम्बर 2022 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में, प्रति शेयर डेटा को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन: समाप्त तिमाही अअंकेक्षित 31.12.2022	स्टैंडअलोन: समाप्त तिमाही अअंकेक्षित 31.12.2021	स्टैंडअलोन: वर्ष से तिथि तक अअंकेक्षित 31.12.2022	स्टैंडअलोन: वर्ष से तिथि तक अअंकेक्षित 31.12.2021	स्टैंडअलोन: समाप्त वर्ष अंकेक्षित 31.03.2022	समेकित: समाप्त तिमाही अअंकेक्षित 31.12.2022	समेकित: समाप्त तिमाही अअंकेक्षित 31.12.2021	समेकित: वर्ष से तिथि तक अअंकेक्षित 31.12.2022	समेकित: वर्ष से तिथि तक अअंकेक्षित 31.12.2021	समेकित: समाप्त वर्ष अंकेक्षित 31.03.2022
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	0	0.14	0.07	0.14	0.61	0.66	8.45	1.10	8.47	9.59
2	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	(20.07)	(17.95)	(59.29)	(57.19)	(75.67)	(171.57)	(173.28)	(514.62)	(541.13)	(685.33)
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(20.07)	(17.95)	(59.29)	(57.19)	(75.67)	(171.57)	(173.28)	(514.62)	(541.13)	(685.33)
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(20.07)	(17.95)	(59.29)	(57.19)	(75.25)	(171.57)	(173.28)	(514.62)	(541.13)	(684.91)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [कर के बाद अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) और कर के बाद अन्य व्यापक आय]	(20.07)	(17.96)	(59.09)	(57.15)	(75.16)	(177.59)	(171.69)	(480.98)	(539.42)	(676.25)
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	1490.00	1490.00	1490.00	1490.00	1490.00	1490.00	1490.00	1490.00	1490.00	1490.00
7	रिजर्व्स (पूर्ववर्ती वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)					(1,400.60)					(24,429.77)
8	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) बेसिक	(0.03)	(0.02)	(0.08)	(0.08)	(0.10)	(0.24)	(0.23)	(0.65)	(0.72)	(0.91)
9	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) डायल्युटेड	(0.03)	(0.02)	(0.08)	(0.08)	(0.10)	(0.24)	(0.23)	(0.65)	(0.72)	(0.91)

टिप्पणी : उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग एवं अन्य घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के पास दायर किये गये तैमाहिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। तैमाहिक / वार्षिक परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स और कम्पनी की वेबसाइट : www.samtexfashions.com पर उपलब्ध हैं।

कृते सैमटेक्स फैशंस लिमिटेड
हस्ता/- अतुल मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00223366

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.02.2023

Delhi mayoral polls postponed again till SC hearing on Friday

CONTD FROM PG-1

"We have several objections including that the pro tem presiding officer of the MCD is insisting on holding elections for mayor, deputy mayor and members of standing committee all at once. This is contrary to the Delhi Municipal Corporation Act," he had said.

Singhvi had said the other issue is the voting rights of nominated members of the House and it needs to be adjudicated.

The petitioner had moved the apex court on February 7, a day after the MCD House failed to elect a mayor for the third time following a ruckus as the AAP objected to the presiding officer saying that the aldermen nominated by the LG will vote in the election.

Singhvi had sought an urgent hearing of the plea saying that the presiding officer had said that let the nominated members vote despite Article 243R of the Indian Constitution. Agencies

SC upholds the constitution of the J&K Delimitation Commission

CONTD FROM PG-1

During the hearing on December 1 last year, the Centre had told the top court that the delimitation commission formed to redraw the legislative assembly and Lok Sabha constituencies in Jammu and Kashmir was empowered to do so.

Seeking dismissal of the plea, Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Centre, had argued that the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 does not preclude the establishment of Delimitation Commission by the Central government.

On March 6, 2020, Union Ministry of Law and Justice (Legislative Department) had issued a notification in exercise of power under section 3 of the Delimitation Act, 2002, constituting a Delimitation Commission, with former Supreme Court judge (Retd) Ranjana Prakash Desai as the chairperson.

The counsel appearing for the two petitioners, Haji Abdul Gani Khan and Mohammad Ayub Mattoo, had argued that the delimitation exercise was carried out in contravention of the scheme of the Constitution and alteration of boundaries and inclusion of extended areas should not have been done. Agencies

Advt Contact :
9818799941

ED opposes AAP minister Satyendar Jain's bail plea in money laundering

Jain, arrested on May 30 last year by the agency, is accused of having laundered money through four companies allegedly linked to him.

New Delhi: The Enforcement Directorate (ED) on Monday opposed before the Delhi High Court the bail plea of jailed AAP minister Satyendar Jain in a money laundering case being probed by it.

Jain, arrested on May 30 last year by the agency, is accused of having laundered money through four companies allegedly linked to him.

Additional Solicitor General (ASG) S V Raju, representing ED, argued before Justice Dinesh Kumar Sharma that the AAP leader's stand that there are no proceeds of crime can be "demolished" by the material on record which also shows that he was "in the thick of things".

In its reply filed in the court, the agency said that the bail plea of Jain, a sitting minister, should be dismissed as his release would obstruct further investigation and there is CCTV footage from Tihar jail, where he is in judicial custody, to show that he is an "influential person" who may influence witnesses and frustrate the proceedings.

ED had arrested Jain in the money laundering case based on a CBI FIR lodged against Jain in 2017 under the Prevention of Corruption Act.

"Money laundering is crystal clear. Their case is that Satyendar Jain has nothing to do with it. I have to establish that Satyendar Jain was in the thick of these things," ASG Raju argued before the high court on Monday.

Raju claimed that there is a statement under Section 50 of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) by Jain which also supports the agency's case and there are proceeds of crime of over Rs 4 crore. "I have admission of Satyendar Jain which shows he is a beneficiary (of the companies)," said the senior law officer, adding that the statement of an auditor connected with the companies in question has also established money laundering.

In its reply filed in the case, the ED said that under PMLA, it cannot be said that bail is the rule and jail is the exception and when a public servant commits an economic offence it erodes public confidence as well and has a larger impact on society.

The agency asserted that during investigation, it was found that the "modus operandi" in the present case involved "transferring cash from Delhi to Kolkata through Hawala operators and in lieu of cash, accommodation entries were layered and received from Kolkata-based shell companies into companies owned by applicant (Jain) and agricultural lands were purchased from these funds. Applicant has denied having any role in taking accommodation entries in his companies".

The reply further emphasised that there is "clear cut evidence" of Jain influencing co-accused Vaibhav Jain and Ankush Jain in Tihar jail.

The "special treatment extended by the prison authorities to Satyendar Kumar Jain shows that the ED's apprehension throughout was correct that being a former minister of prisons and health he is receiving favourable treatment from the prison officials including the prison doctors", it added.

"The applicant (Jain) continues to be a sitting minister in the Government of NCT Delhi and has been influencing witnesses through his incarceration. The above facts are borne out from the CCTV video footage of Tihar jail premises submitted by the Directorate before the PMLA special judge," the reply said.

"There is high likelihood that the applicant may attempt to influence witnesses as is also borne out from the video footage where the applicant can be seen interacting with the co-accused on a regular basis. There is a high likelihood that the applicant once released would seek to frustrate the proceedings under the Act," it added.

The ED also submitted that Jain has been non-cooperative with the probe and has given evasive replies.

The court listed the case for further hearing on February 21.

Satyendar Jain has earlier submitted that no case is made out against him and he has fully cooperated in the investigation and there is no requirement to continue his incarceration after filing of chargesheet. The AAP leader has challenged the trial court's November 17, 2022 order by which his bail plea was dismissed on the ground that he was prima facie involved in concealing the proceeds of crime. Besides him, the trial court had also denied bail to two co-accused -- Vaibhav Jain and Ankush Jain -- saying that they "knowingly" assisted Jain in concealing the proceeds of crime and were "prima facie guilty" of money laundering.

The trial court had said "prima facie" Jain was "actually involved in concealing the proceeds of crime by giving cash to the Kolkata-based entry operators and thereafter, bringing the cash into three companies... against the sale of shares to show that the income of these three companies was untainted one".

In 2022, the trial court also took cognisance of the prosecution complaint (chargesheet) filed by the ED against Jain, his wife and eight others, including the four firms, in connection with the money laundering case.

Oppn members seem to come to RS only to stall its proceedings: Goyal

New Delhi: The BJP on Monday took a swipe at the Opposition over repeated disruptions in Rajya Sabha, saying many of its members seem to come to the House with the sole purpose of stalling its proceedings.

It is very unfortunate as the Opposition in a way insulted the Rajya Sabha Chairperson by repeatedly ignoring his requests with many of its members passing comments from their seats, Union minister and Leader of the House Piyush Goyal told reporters.

NAME CHANGE

I, hitherto known as I, SUDHIR Son of KIRAN PAL, resident of House No. 91/6, SHIV MANDIR, WAZIRABAD, NORTH DELHI, DELHI-110054, have changed my name and shall hereafter be known as SUDHIR PAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

Knows all men that my client Smt. Kamlawati Devi W/o Sh. Lalta Prasad R/o, House no. 4, Gali No. 1, Maharana Patap Chowk, Mukundpur, Delhi has disown and debar his Son namely Abhishek & his Wife namely Bhavika Negi from her all movable and immovable properties and have severed relations with them from 11.02.2023 due to their bad behavior, attitude and disrespectful conduct. If anybody deals with them shall do so at his own risk and my client shall not be responsible for the same.

Rakesh Kaushik (Advocate)
Ch No. 306, 3rd Floor,
Lawyers Chamber Building,
Rohini Court, Delhi-110085
M-9910123939

TN judge S Karthik delivers the fastest trial and Judgement in Tamil Nadu

N.SIVAKUMAR
Kodaikanal:

The Tamil Nadu saw today a speedy trial and Judgement in just eight days. A case on attempt of Rape against two criminals in Kodaikanal, Tamil Nadu. The two accused were sentenced 8 years Imprisonments and 20000 each penalty. The judgment delivered by Judge S Karthik in the Judicial Magistrate No.II, Kodaikanal. It seems that it is the fastest judgment in the history of Tamil Nadu.

A Criminal case under .44/2023 u/s 341, 294(b), 323, 354(A) IPC & Sec.4 of TNPHW charged against two accused Jeeva and Balamurugan in Kodaikanal on accusation of attempt to rape a woman, according to Sub Inspector of Police, Kodiakanal, the trial came under judge each by Thiru.K.Karthik, M.L., Judicial Magistrate No.II, Kodaikanal, Dindigul District. The judge, after the trial awarded sentence the two accused for 8 years and eight months each of the accused under various section and also imposed penalty of Rs 2000 each.

The accused were intercepted a Scorpio car driven by a woman at kookaal area indumban Karai, Kodaikanal and got on the car. The tried to molest the woman, while on resisting, the used filthy language against the woman. When passerby noted the incident raised alarm. The two accused then ran away from the Spot.

A case was filed by The Sub Inspector, Kodaikanal Police Station, Kodaikanal against the two accused on 4th February 2023. The accused taken into custody. The trial came under Thiru.K.Karthik, M.L., Judicial Magistrate No.II, Kodaikanal today . After trial, the learned judge, Confirmed the accusation and sentenced 8 years and eight months under u/s 341, 294(b), 323, 354(A) IPC & Sec.4 of TN-PHW. The learned judge opined while delivering judgment that there should be strict sentence against crime on women. Only the harsh punishment will bring down the crime against the woman in the country.

Earlier. a POCSO court in Bihar's Araria district has sentenced a man in just one day's proceedings to life imprisonment for raping an eight-year-old girl. "This is perhaps the first case in which punishment has been given in a single day of trial. Before it, in Datia (MP) district, a court had delivered a verdict after three days of trial on 8 August, 2018. Bihar made a national record by conducting trial in a single day by giving life sentence to the convict till his last breath."

The today's Kodaikanal case is the fastest trial and judgement case by delivered by Hon'ble Judge S Karthik in the Judicial Magistrate No.II, Kodaikanal on attempt to rape case.

ECOVACS comes up with smart gifting options

New Delhi: A robotic vacuum cleaner (RVC) can be a perfect gift for your loved ones that they will cherish for years to come, and this is the reason why ECOVACS ROBOTICS is offering special Valentine's Day discount on its DEEBOTs.

Available on Amazon, ECOVACS DEEBOT N8 PRO is a RVC with the advanced TrueDetect 3D obstacle avoidance technology and delivers a powerful in-depth cleaning without collisions.

Its pressure retention system optimizes energy efficiency and ensures high vacuum pressure. The device can be controlled via the ECOVACS Home App, allowing users to allow or restrict the robot from entering and cleaning specific areas.

Similarly, ECOVACS DEEBOT N8 is an effective yet pocket friendly RVC. The product not only delivers a powerful cleaning experience, but also liberates users' hands for up to 30 days without cleaning the dustbin.

Users can manually manage the water yield through the ECOVACS Home app accordingly.

UDDHAV PROPERTIES LIMITED
Regd. Office:- 19, Community Centre, First Floor, East of Kailash, New Delhi-110065
Tel. No.: 011-41326013, E-mail: uddhavproperties@gmail.com CIN: L7010DL1982PLC014024,
Website: www.uddhavpropertiesltd.com
Extracts of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and Nine Months ended 31st December, 2022
(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Nine months Ended		Year ended
		31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total income from operations	2.20	2.20	2.47	6.58	5.49	7.64
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	0.88	1.24	1.36	3.40	2.75	2.70
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	0.88	1.24	1.36	3.40	2.75	2.70
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	0.88	1.24	1.36	3.40	2.75	2.02
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	0.88	1.24	1.36	3.40	2.75	2.02
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	(18.21)
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (Not Annualised)						
	Basic :	0.06	0.08	0.09	0.24	0.20	0.14
	Diluted :	0.06	0.08	0.09	0.24	0.20	0.14

Notes : 1) The above unaudited financial results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13th February,2023.
2) The above results have been prepared with Indian Accounting Standard (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act,2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicalbe.
3) The figures of the corresponding quarter have been regrouped/reclassified, wherever necessary to conform to current quarter's classification.

For Uddhav Properties Ltd.
Sd/-
G.S. Poddar
Director (DIN:00917730)

Place : New Delhi
Date : 13.02.2023

Two day food & nutrition show to begin at Gulmohar park on Feb 18-19 in Delhi

New Delhi: Delhi's biggest two day Food and Nutrition show organised by All India Kitchen Garden Association (AIKGA) in Gulmohar park club grounds will begin in the national capital on February 18-19, 2023 .

"The kitchen garden show with the theme 'Gardening for peace and environment health' is being organised after Two year gap due to covid restrictions . This year AIKGA has shifted the focus and theme of the show on gardening for health, environment, nutrition and food preservation instead for usual display of fruit, vegetables and flowers . various chapters of the association in Delhi and National Capital Region will be presenting whole range of environment, nutrition food and related recipes to meet the needs of changing environment and lifestyle "said Ms Bella Gupta, Secretary, All India Kitchen Garden Association (AIKGA).

"There is increasing evidence that exposure to plants and green space, and particularly to gardening, is beneficial to mental and physical health. Traditional art for centuries, gardening fills vacant yard spaces with color, texture, and edibles, as well as satisfies the innate desire to create. Engaging with soil and plants in the fresh air has proven to have numerous environmental and health benefits for people" said Ms Bella Gupta.

"A food garden ensures the freshness and quality of what consumers eat. At a time when pesticides and fertilizers are over-used, consider how comfortable you are when you know precisely what affected your fruits and vegetables. In addition, a vegetable garden is a beautiful method to acquire personal responsibility and pleasure. A truly rewarding example of how gardening benefits our environment." Ms Gupta said.

"Gardening can help the Earth. Plants are living examples of how gardening benefits our environment. Plants function as highly effective cleansers, absorb carbon dioxide and various air contaminants, and at the same time, release clean oxygen and scents," she added.

"The major highlights of the Two day show will be a wide display of vegetables, fruits, flowers, hanging baskets, trays, water and bottle gardens, vegetable carving, landscaping, general nutrition and cooking tips . A painting competition on health and nutrition will be another major attraction during the show"said Ms Gupta.

PUBLIC NOTICE

My client Smt. VIMLA W/O LATE. SH. PREM KUMAR, R/o F-7A/117, SECTOR-16, ROHINI, DELHI-110089, has severed all her relations and disowned and debarred her son JAI PRAKASH, from her all moveable & immoveable properties due to his hostile behavior and unrespective nature towards my client. Anybody deals with him shall do so at their own risk and responsibility.

Parminder Singh Dhanjal
Advocate
Delhi High Court
Ch. No. 265 B, 2nd Floor,
Western Wing, Tis Hazari
Court, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

That My client Ramkishore S/o Chandgiram, R/o 180, Village, Pandwala Khurd, Najafgarh, Delhi-110043 have been disowned his son namely Sudhir Kumar and his wife Neetu due to irresponsible act towards the interest and dignity of the family. If anyone have any transaction with them my client's shall not be responsible for the same as both of Sudhir Kumar and Neetu are being disowned and debarred from my client's entire movable and immovable property and disconnected their entire relations.

SAGAR
Advocates
Delhi high court
Office: -Ch. No. 805, Lawyers Chamber Block District Court, Dwarka, Sector-10 Complex, New Delhi-110075,
M- 7838 934463

MOHIT PAPER MILLS LIMITED
(CIN- L21093DL1992PLC116600)
Regd. Office: 15A/13, Upper Ground Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008
Works: 9km. Stone, Nagina Road, Bijnor, Uttar Pradesh- 246701
Phone: 011- 25886798
E-mail: investorsmohitpaper@gmail.com Website: www.mohitpaper.in

EXTRACT OF THE UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT
FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER, 2022
(Rs. In Lacs except EPS)

Particulars	Quarter ended (31-12-2022) Unaudited	Quarter ended (30-09-2022) Unaudited	Quarter ended (31-12-2021) Unaudited	9 Month ended (31-12-2022) Unaudited	9 Month ended (31-12-2021) Unaudited	Year ended (31-03-2022) Audited
Total income from operations (Net)	5514.38	5986.35	3546.769	16742.57	9896.45	14265.64
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	200.58	192.87	26.55	482.07	89.67	127.76
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	200.58	192.87	26.55	482.07	89.67	127.76
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	117.14	104.31	78.37	306.90	90.36	196.13
Total Comprehensive income for the period	117.14	104.31	78.37	306.90	90.36	196.13
Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
No. of Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per equity share)	140	140	140	140	140	140
Reserve (exclude Revaluation Reserve)	0	0	0	0	0	1915.44
Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)						
Basic	0.84	0.75	0.56	2.19	0.65	1.42
Diluted	0.84	0.75	0.56	2.19	0.65	1.42

Notes:
1. The above is an extract of unaudited financial statements for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2022 were reviewed by the Audit committee and therefore approved by the Board of Directors of Mohit Paper Mills Limited (the "Company") in the Meeting held on Saturday, February 11, 2023. As per Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulation"). The Company opted to publish the Standalone Unaudited Financial Result of the Company, it will be also available on the Company's website www.mohitpaper.in as well as on the stoke exchange's www.bseindia.com
2. The financial results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("IND AS"), as applicable and guidelines issued by the Securities and Exchange board of India ("SEBI"), and the IND AS are prescribed under the section 133 of the Companies Act, 2013 (the "ACT") read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) (Amended) Rules, 2016, to the extent applicable.
3. The Company has published the financial results, in accordance with the IND AS 108, Operating Segments, the Company has disclosed the segment information in the financial result and therefore, no separate disclosure on segment information is given in the financial result for the Quarter and Nine Months ending December 31, 2022.
4. Previously period figures have been regrouped/ reclassified wherever necessary to conform to the current period's classification

For and on behalf of Mohit Paper Mills Limited
Sd/-
Sandeep Jain
(Managing Director)
(DIN- 00458048)

Place: New Delhi
Date: 11/02/2023

R.N.I DEL ENG 2014/56486 Vol. 9, Issue 310 Published & Printed by Praveen Attre on behalf of TOP STORY MEDIA PVT. LTD. and Printed at the Jyoti Printers, C-12, Sector-8, Noida, 201301 and Published at 1439/40, Loni Road, Shahdara, Delhi-110032. Editor, Praveen Attre (Responsible for Selection of news under the Press & Registration of Books Act 187).
Reproduction in whole or part without the written permission of the publisher is prohibited. Advertising: 0120-4241284, 9818799941, Noida office- 1st floor, D-93, Sector-12, Noida, Gautam Budh Nagar, 201301, Phone Editorial: 0120-4225517, Circulation: 8586925450, Email: editorial@topstorypaper.com, advt@topstorypaper.com, topstory_2007@yahoo.com